THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) Yes, Sir.

(b) One post of Hindi Translator for National Airport Authority Headquarters was advertised in the Navbharat Times on 8-5-92. The vacancy was also circulated at the Headquarters.

(c) No, Sir.

(d) The employees in the subordinate offices could also respond directly aaginst the advertisement in the regions.

संसद सदस्य और विशेष श्रेणी के कोटे के अधीन टेलीफोन कनेक्शन लगाये जाने में विलम्ब

*496. **श्री गुफरान आजम :**
श्री सुरेश चौधरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) संसद सदस्यों और विशेष श्रेणी के कोटा (बिना पारी) से टेलीफोन कनेक्शन देने में कितना समय लगता है ;

(ख) इस श्रेणी के अधीन टेलीफोन कनेक्शन लगाये जाने के कितने मामले लम्बित हैं ;

(ग) विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि इस श्रेणी के अधीन शीघ्र टेलीफोन कनेक्शन दिये जायें ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) संसद सदस्यों के कोटे से तथा साथ-ही-साथ बिना बारी (आउट आफ टर्न) मंजूरशुदा टेलीफोन कनेक्शन तकनीकी रूप से व्यवहार्य होने पर और विभागीय औपचारिकताओं का पालन होने पर, आमतौर पर 30 दिन की अवधि में प्रदान कर दिए जाते हैं ।

(ख) इस श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले टेलीफोन कनेक्शनों के विचाराधीन मामलों की संख्या 9881 है।

(ग) देरी के कारण इस प्रकार हैं:— तकनीकी रूप से व्यवहार्य न होना, आवेदकों से पंजीकरण के विवरण उपलब्ध न होना, परिसर बदलने के कारण प्रेषिती का उपलब्ध न होना, पंजीकरण पत्र तथा बिना बारी (आउट आफ टर्न) स्वीकृति आदेश में आवेदकों के नाम और पते में विसंगतियां होना, कनेक्शन लेवी दूरी का होना आदि।

(घ) इस श्रेणी के अंतर्गत 30 दिन की अवधि के भीतर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के संबंध में अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। इन अनुदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा ऐसे कनेक्शन तत्काल प्रदान करने के लिए प्रत्येक सर्किल में संपर्क अधिकारी पहले ही मनोनीत कर दिये गये हैं।

जिन मामलों में कनेक्शन शीघ्र-प्रदान करना तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं होता है उनमें मुख्य महाप्रबंधकों से, टेलीफोन कनेक्शन के संस्थापन की सम्भावित तारीख की सूचना माननीय संसद सदस्यों को देने के लिए कहा जाता है।

Development of domestic tourism in the country

*497. DR. SANJAYA SINH: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government have any precise estimates of total domestic tourist traffic in the country;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what steps Government propose to take to promote domestic tourism in the country?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) and (b) Based on the information available from the State/U.T. Governments the total volume of domestic tourist visits in the country during 1991 has been roughly estimated to be about 64 million.

(c) The steps proposed to be taken to promote domestic tourism include development of camping sites, introduction of Paying guest accommodations Scheme, recognition of tour operators engaged in domestic tourism, development of facilities at selected pilgrim centres, domestic publicity etc.

Success rate of trunk calls

*498. SHRI J. S. RAJU;
DR. NARREDDY THULASI REDDY:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1956 given in the Rajya Sabha on the 28th July, 1992 and state the latest call success rate and trunk efficiency percentage.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI RAJESH PILOT): Sir, All India Call Success rate and trunk efficiency percentages as on 30-6-1992 are as follows:

Parameter	As on 30-6-92
1. Call Completion rate (Local)	97·27%
2. Call Completion rate (Junction)	92·55%
3. Call Completion rate (STD)	88·46%
4. Manual Trunk Efficiency	77·67%

उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के कोड नम्बरों में असमानता

*499. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के कोड नम्बरों में कोई समरूपता/समानता नहीं है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को टेलीफोन नम्बर मिलाने में दिक्कत होती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ शहरों के कोड नम्बर तीन अंकों में हैं जबकि कुछ अन्य शहरों के कोड नम्बर आठ अंकों में हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार विभिन्न शहरों के उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के कोड नम्बरों में उसी तरह एकरूपता लाने पर विचार कर रही है जैसी कि डाकघरों के कोड नम्बरों में है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) तकनीकी कारणों से किसी शहर/कस्बे की एस.टी.डी. कोड की लंबाई स्थानीय टेलोफोन नंबर की लंबाई के अनुसार भिन्न-भिन्न है। उपभोक्ताओं की सहायता के लिए एस.टी.डी. कोडों का समुचित प्रचार किया जाता है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय काल के लिए डायल किये जाने वाले अंकों की अधिकतम संख्या 10 तक सीमित रखने